न्यायालय – भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खूँटी
दा0 खा0 अपील वाद सं0– 96/2019-20

सुशीला देवी पति रघु महतो – अपीलकर्त्ता
ग्राम–डहुगुटू, थाना–खूँटी, जिला–खूँटी।

बनाम्

अंचल अधिकारी, खूँटी। – विपक्षी

आदेश का क्रम सं0 एवं तारीख	आदेश	की गई कार्रवाई
17.02.20	अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक ने वर्त्तमान वाद दा0 खा0 वाद सं0–1097R27/18-19 में अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.02.19 के विरूद्ध अपील दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है:–	

मौजा	थाना/थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा(एकड़ में)
डहुगुटू	खूँटी 89	47	347	0.11
		23	103	0.21
		20	108	0.20½
		89	111	0.15½
				0.68

अपीलकर्ता के अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी, खूँटी के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति को देखा एवं अपील संस्थित करने वो सुनवाई का प्रर्याप्त आधार पाते हुये उक्त दा0 खा0 अपील वाद में अंगीकार किया गया। आवेदक कथन करते है कि मौजा–डहुगुटू, थाना–खूँटी के उक्त भूमि जिसकी कुल रकबा 0.68 एकड़ है जिसे रमन महतो पिता स्व0 बहुरन महतो वो 2. लक्ष्मी देवी पति श्री रमन महतो उर्फ रमन राम गौंझू ग्राम–गायत्री नगर डहुगुटू, थाना–खूँटी से विक्रय पट्टा सं0 1010/973 दिनांक 31.07.17 से भूमि खरीदी गयी है। आवेदक द्वारा उक्त भूमि का नामांतरण हेतु अंचल कार्यालय, खूँटी में आवेदन दाखिल किया जिसका वाद सं0 1097R27/18-19 पड़ा।

अंचल अधिकारी, खूँटी के प्रतिवेदन अनुसार आवेदित खाता नं0 89, प्लॉट सं0 111 पंजी–2 में दर्ज नहीं होने के कारण नामांतरण अस्वीकृत की गयी है।

अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान बताया कि खतियान एवं रसीद दिया गया है। खाता सं0 89 का रसीद अंचल द्वारा निर्गत किया गया परन्तु उक्त रसीद में खेसरा संख्या अंकित नहीं किया गया है। अंत में अधिवक्ता के द्वारा खेसरा संख्या अंकित करते हुए दाखिल खारिज करने हेतु अंचल अधिकारी, खूँटी को निर्देश देने हेतु प्रार्थना करते है।

अधिवक्ता के बहस को सुना एवं दाखिल किये गये कागजातों का अवलोकन करने के पश्चात् आवेदक को निर्देश दिया जाता है कि उक्त खेसरा का इंद्राज कराने हेतु अंचल अधिकारी, खूँटी को आवेदन दे। अंचल अधिकारी, खूँटी को **Remand** करते हुए निर्देश दिया जाता है कि आवेदक से खेसरा दर्ज करने हेतु आवेदन प्राप्त करते हुए पंजी–2 में खेसरा दर्ज करने के पश्चात् दाखिल खारिज हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जाय।

लेखापित एवं संशोधित

ह0 17/02/20
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

ह0 17/02/20
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।